सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

MOFPI

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India

Guidelines dated **12.11.2025**

PMKSY

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना
PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA (PMKSY)

Food Safety & Quality Assurance Infrastructure

MOFPI ASSISTED FOOD TESTING LABORATORIES

विषय सूची

क्र. सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	पात्र संस्थाएं	1
3.	पात्रता मापदंड	2
4.	कुल परियोजना लागत (टीपीसी),पात्र परियोजना लागत (ईपीसी)	3
5.	सहायता का पैटर्न	5
6.	आवेदन फाइल करने की प्रकिया और ज़रूरी दस्तावेज	6
7.	शुल्क और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी	7
8.	वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का चयन	7
9.	कार्यान्वयन अनुसूची	9
10.	सब्सिडी जारी करना	9
11.	सब्सिडी जारी करने से पहले दस्तावेजों की ज़रूरत	10
12.	परियोजना के घटक और लागत में बदलाव	12
13.	सहायता का समन्वय	13
14.	निगरानी और मूल्यांकन	13
15.	परियोजना को लागू न करना या लागू करने में देरी और सब्सिडी का समन्वयन, कटौती और वापस लेना	13
16.	विविध प्रावधान	15
17.	न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	15
18.	परिशिष्ट-क- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए मानदंड	16
19.	अनुबंधों की सूची	20
क	अनुबंध I : आवेदन फॉर्म/डीपीआर फॉर्मेट	21
ख	अनुबंध II: लागत मानक के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस और लागत के साथ प्रपोज़्ड प्रयोगशाला उपकरण का आइटम-वाइज़ विवरण	25
ग	अनुबंध III: तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडबल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर (एफ़ एंड एफ़) के लिए लागत आंकलन	26
घ	अनुबंध IV : आस-पास के इलाके में खाद्य उद्योग जहाँ से खाद्य परीक्षण सैंपल्स का बिज़नेस लक्षित है	27
ड	अनुबंध V: स्वीकृति पत्र का फॉर्मेट और उसके साथ के कागज़ात	28
च	अनुबंध VI: चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र	35
छ	अनुबंध VII(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य - परीक्षण प्रयोगशाला के लिए जारी सब्सिडी के अंतर्गत खरीदे और स्थापित किए गए उपकरण का विवरण	37
ज	अनुबंध VII(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी से बनाई गई फूड-टेस्टिंग प्रयोगशाला में खरीदे गए/किए गए तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडबल्यू) और फ़र्नीचर और फ़िक्स्चर का ब्यौरा	39
झ	अनुबंध VIII: श्योरिटी बॉन्ड टेम्पलेट	40
ञ	अनुबंध VIII (क) बोर्ड संकल्प - ज़मानत बांड का एक हिस्सा	43
ट	अनुबंध IX: स्व-घोषणा टेम्पलेट	44
ठ	अनुबंध X: दिवालियापन / परिसमापन / दिवालियापन कार्यवाही के बारे में घोषणा ।	45
ड	अनुबंध XI : निवल संपत्ति की गणना	46
ढ	अनुबंध XII: *प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों की सूची*	50

पृष्ठभूमि

खाद्य उद्योग, नियामक निकाय और उपभोक्ता समेत सभी हितधारको के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बहुत ज़रूरी हैं। जैसे-जैसे खाद्य सुरक्षा में नई चुनौतियाँ और मुश्किलें सामने आ रही हैं, हितधारक कड़े मानकों को पूरा करने के लिए तरीकों को बेहतर बना रहे हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य परीक्षण प्रयोगगशाला एक ज़रूरी भूमिका निभाती हैं, जो यह तय करने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं कि खाद्य खाने योग्य सुरक्षित है और उसमें मिलावट या गंदगी नहीं है।

जैसे-जैसे भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित हो रहा है, विनियामक अनुपालन और उपभोक्ता स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन और खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मज़बूत करने की तुरंत ज़रूरत है। सुरक्षित, हाइजीनिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सुनिश्चित करने के लिए, घरेलू और आयातित दोनों तरह के उत्पादों का परीक्षण ज़रूरी है ताकि यह देखा जा सके कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानको को पूरा करते हैं या नहीं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) वर्ष 2005 से फ़ूड खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफ़एसक्यूएआई) स्कीम को लागू कर रहा है। वर्ष 2017 में, इस स्कीम को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया गया था। एफ़एसक्यूएआई घटक स्कीम देश भर में खाद्य-परीक्षण अवसंरचना को मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रयोगशाला बनाने के लिए वित्तीय मदद देती है।

1. उद्देश्य:

- पूरे देश में खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मज़बूत करना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और दूसरे हितधारको के लिए गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाना।
- खाद्य सैंपल के परीक्षण और विश्लेषण के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) को कम करना।

2. पात्र संस्थाएं:

कोई भी निजी क्षेत्र संगठन या संस्थओंजो सिर्फ़ कमर्शियल खाद्य परीक्षण के उद्देश्य से खाद्य - परीक्षण प्रयोगशाला बनाना चाहती है, उसे ये शर्तें पूरी करनी होंगी:-

i. ***सिर्फ़ नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला बनाने के प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा ।***
ii. *एक आवेदक के सिर्फ़ एक आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।*
iii. *इन-हाउस लैबोरेटरी के प्रस्तावों को सहायता नहीं दी जायेगी*
iv. *संस्थओं को अपने बाय-लॉज़ (मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन) आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन/ संबंधित कानूनी दस्तावेज देने होंगे, जिसमें कमर्शियल खाद्य परीक्षण को साफ़ तौर पर एक मंज़ूर एक्टिविटी / मकसद के तौर पर शामिल किया गया हो।*
v. *संस्थओंके पास वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे जीएसआईटीएन, पैन, एमएसएमई उद्यम आधार , या संबंधित अथॉरिटी/ सरकार से जारी किया गया कोई वैसा ही सर्टिफिकेट, जैसा कि बताई गई सर्विसेज़ पर लागू हो।*
vi. जिन संस्थओं में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) की कम से कम 51% हिस्सेदारी है, उनसे मिले प्रस्ताव को अनु. जा./अनु. जन. जा प्रस्ताव माना जाएगा।
vii. अगर परियोजना लागू होने के दौरान किसी भी समय अनु. जा./अनु. जन. जा की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाती है, तो परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। पहले से दी गई कोई भी सब्सिडी 10% के अतिरिक्त सालाना ब्याज के साथ वापस ली जाएगी, और निष्पादन सिक्योरिटी ज़ब्त कर ली जाएगी।

viii. जिन संस्थओं में महिला *प्रोमोटर* के पास संस्थओं की नेट वर्थ में कम से कम 51% हिस्सेदारी है, उनसे मिले प्रस्ताव को महिलाओं का प्रस्ताव माना जाएगा।

ix. *संस्थओं दिवालिया, रिसीवरशिप में, बैंकरप्ट या बंद होने वाली नहीं होनी चाहिए; उसके मामले किसी कोर्ट या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रबंध नहीं किए जाने चाहिए; उसकी व्यावसायिक गतिविधि सस्पेंड नहीं होनी चाहिए; और ऊपर बताए गए किसी भी कारण से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस बारे में प्रोमोटर से एक अंडरटेकिंग जमा करवानी होगी।* ***(फॉर्मेट** अनुबंध-**X में संलग्न है)***

3. पात्रता मानदंड :

	मानदंड	पात्रता की जरूरतें
क)	प्रमोटर की इक्विटी	➢ **सामान्य क्षेत्र** : कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% ➢ **दुर्गम क्षेत्र, अनु. जा./अनु. जन. जा, एफ़पीओ:** कुल परियोजना लागत का कम से कम 10%। ➢ अनु. जा./अनु. जन. जा **प्रस्ताव** : जहां अनु. जा./अनु. जन. जा मेंबर के पास **संस्थओंमें कम से कम 51% शेयर हो।**
ख)	नेट वर्थ आवश्यक	➢ आवेदक की कुल निवल संपत्ति कम से कम मांगी गई सब्सिडी **के बराबर होनी चाहिए।** ➢ **निवल संपत्ति का गणना अनुबंध-XI** के अनुसार की जाएगी ।
ग)	आरबीआई से मंज़ूर बैंक से टर्म लोन/ वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी	➢ **सामान्य क्षेत्र**: कुल परियोजना लागत का कम से कम 20%। ➢ **दुर्गम क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ"** : कुल परियोजना लागत का कम से कम **10% ।** ईओआई (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) ➢ ऋण स्वीकृति पत्र की तारीख अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी करने की तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए। ➢ परियोजना पूरा होने तक थ्रेशहोल्ड बनाए रखना होगा।
घ)	विस्तृत मूल्यांकन नोट	➢ **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/नाबार्ड/सिड्बी** , या एनईडीएफ़आई द्वारा जारी जमा करना होगा। ➢ बैंक **मूल्यांकन नोट** की तारीख (ईओआई) **अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी करने** की **तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए।**
ड)	पिछली सहायता	➢ जिन आवेदकों को पहले एमओएफ़पीआई से सहायता मिली है, वे दो घटनाओं में से जो भी पहले हो: अंतिम किस्त या उनकी अंतिम परियोजना की सीटीओ की तारीख — जिसे (इओआई) अभिरूचि की अभिव्यक्ति समापन तिथि तक गिना जाता है, उसके 2 साल बाद ही नई सब्सिडी के लिए पात्र हैं। ➢ कोई भी संस्था या उसके प्रवर्तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई योजना के किसी भी उप-घटक के अंतर्गत, पहली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से लेकर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के बंद होने की तारीख तक की दस वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी:

i. इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए दुर्गम क्षेत्र का अर्थ है उत्तर-पूर्वी राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, आईटीडीपी घोषित सूची (जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वेबसाइड पर उपलब्ध) के अनुसार अधिसूचित आईटीडीपी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं) और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश।

4. कुल परियोजना लागत (टीपीसी):

यह परियोजना पर कुल अनुमानित लागत दिखाता है।

सब्सिडी गणना के लिए, टीपीसी को पात्र और अपात्र घटकों में बांटा गया है:

I. **पात्र परियोजना लागत (ईपीसी)** : सब्सिडी गणना के लिए विचार किए जाने वाले घटकों में शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	घटक	विवरण शुल्क
1.	उपकरण	उपकरण (टैक्स छोड़कर) जिनकी कीमत ₹1 लाख से ज़्यादा है और जो खाने के नमुने की जॉच के लिए ज़रूरी हैं - जिसमें पीने का पानी, खाने के उत्पाद, या खाने की पैकेजिंग का सामान शामिल है।
2.	तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडबल्यू), फर्नीचर और फिक्स्चर	सिविल कार्य के पार्ट्स और जॉच उपकरण की स्थापना और प्रचालन के लिए ज़रूरी फर्नीचर और फिक्स्चर।
3.	एनएबीएल मान्यता शुल्क और सीआरएम	एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए जीएसटी सहित पंजीकरण शुल्क फीस और एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लेने के लिए ज़रूरी सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल (सीआरएम) की एक बार की खरीद ।
4.	**प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस)***	प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) एक सॉफ्टवेयर-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल प्रयोगशाला संचलन और डेटा का अच्छे से प्रबंध करने, ट्रैक करने और प्रलेखन करने के लिए किया जाता है। यह नमूना पंजीकरण, परिणाम आवंटन, परिणाम प्रविष्टि, रिपोर्ट तैयार जेनरेशन, डेटा स्टोरेज और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे फंक्शन का समर्थन करता है। एलआईएमएस प्रयोगशाला कार्यगति में सटीकता, ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता पक्का करता है और आईएसओ/आईईसी 17025 और एनएबीएल ज़रूरतों जैसे मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।

***सब्सिडी पाने के लिए एलआईएमएस एक ज़रूरी हिस्सा है।**

II. अपात्र वस्तुएं- *कुल परियोजना लागत में शामिल हैं लेकिन सब्सिडी के लिए पात्र* ***नहीं हैं:***

क्रम संख्या	वस्तुएं
1.	परिसर की दीवार
2.	पहुँच मार्ग / आंतरिक सड़कें
3.	प्रशासनिक कार्यालय भवन
4.	कैंटीन
5.	श्रमिक शौचालय और श्रमिक क्वार्टर
6.	सुरक्षा/गार्ड रूम या प्रांगण
7.	गैर-तकनीकी सिविल कार्य जो योजना से संबंधित नहीं हैं
8.	मार्जिन मनी, कार्ययिाल पूँजी, आकस्मिक व्यय
9.	परिवहन वाहन
10	पूर्व-संचालन व्यय
11।	सर्विस/कैरिज/फ्रेट चार्ज (एनएबीएल फीस को छोड़कर)
12.	मशीनरी की पेंटिंग
13.	एसी डक्टिंग, कार्यालय फर्नीचर, कंप्यूटर, वगैरह।
14.	सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा प्रणालियाँ
15.	कंसल्टेंसी फीस, मशीनरी पर शुल्क, टीसीडब्ल्यू और फर्नीचर और फिक्सचर (एफ एंड एफ) पर शुल्क
16.	स्टेशनरी वस्तुएं
17.	उपकरण जो सीधे तौर पर खाद्य परीक्षण से संबंधित नहीं हैं
18.	फ्लाई कैचर, हैंड वॉशर, लॉन्ड्री उपकरण
19	रीकंडीशन्ड/सेकंड-हैंड/पुराना प्लांट और मशीनरी
20.	उपकरण ₹1.00 लाख से कम का हो या तकनीकी समिति द्वारा अनुशांसित नहीं ।
21.	ईंधन, उपभोज्य, पुर्जे और भंडार

टिप्पणी:

i. सब्सिडी के लिए चीजे पात्र है या नहीं, इस पर फैसला का अंतिम अधिकार मंत्रालय द्वारा बनाई गई परियोजना स्वीकृति समिति के पास होगा।

ii. रजिस्टर्ड सेल या लीज़ डीड में ज़मीन की कीमत, साथ ही बिल्डिंग खरीदने से जुड़े खर्च, अपात्र चीज़ों/कंपोनेंट्स की कीमत, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं/वेतन/मज़दूरी वगैरह की नियमित आवर्ति लागत, कुल परियोजना लागत में शामिल नहीं की जाएगी।

5. सहायता का पैटर्न:

हर परियोजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपये तक की मदद नीचे दिए गए हिस्सों के लिए दी जाएगी:

	घटक	विवरण
1	**उपकरण**	**सामान्य क्षेत्र** :पात्र उपकरण लागत का 50% **दुर्गम इलाके/ अनु. जा./अनु. जन. जा , एफ़पीओ** : पात्र उपकरण की कीमत का 70%
2	**तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडबल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर**	आवेदक द्वारा प्रस्तावित खर्च,पात्र लागत का अधिकतम 2% या रुपये 15.00 लाख, जो भी कम हो, के अधीन है।
3	एनएबीएल पंजिकरण शुल्क **और सीआरएम**	एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए के लिए जीएसटी सहित पंजिकरण शुल्क और एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल (सीआरएम) की एक बार की खरीद आवश्यक है।
4	**प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस)**	प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) एक सॉफ्टवेयर-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल प्रयोगशाला प्रचालन और डेटा का अच्छे से प्रबंध करने, ट्रैक करने और डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जाता है। यह सैंपल रजिस्ट्रेशन, टेस्ट एलोकेशन, रिजल्ट एंट्री, रिपोर्ट जेनरेशन, डेटा स्टोरेज और क्वालिटी कंट्रोल जैसे फंक्शन को सपोर्ट करता है। एलआईएमएस लैबोरेटरी कार्य फ़्लो में सटीकता, ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता पक्का करता है और आईएसओ/आईईसी 17025 और एनएबीएल ज़रूरतों जैसे स्टैंडर्ड का पालन बनाए रखने में मदद करता है।

शर्तें:

(क) किसी भी कारण से स्वीकृत सब्सिडी में ऊपर की ओर बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) अगर पीआईए किसी स्वीकृत घटक को हटाने का अनुरोध करता है, तो आनुपातिक सब्सिडी (50% या 70%, जो भी लागू हो) कुल स्वीकृत सब्सिडी में से काट ली जाएगी। सब्सिडी में कटौती स्वीकृत/प्रतिबंधित सब्सिडी से की जाएगी, भले ही पात्र सब्सिडी रु. 5 करोड से ज़्यादा हो।

(ग) सब्सिडी गणना के लिए उपकरण की पात्र लागत मंत्रालय के लागत मानक के आधार पर या आवेदक के प्रस्ताव के आधार से होगी, इनमें से जो भी कम हो। अगर कोई उपकरण लागत मानक की सूचि में नहीं दिखता है, तो मंत्रालय ओरिजिनल उपकरण मैन्युफैक्चरर (ओईम) या प्राधिकृत पूर्तिकर्ता/वितरक से आवेदन के साथ जमा किए गए प्रतिपादन और नवीनतम निवेदित भाव के आधार पर ऐसे उपकरण की लागत के बारे में अंतिम फैसला लेगी।

(घ) (ईओआई) अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी होने की तारीख के बाद और परियोजना के स्वीकृति की तारीख से पहले हुए खर्च पर तभी विचार किया जाएगा, जब परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल गया हो। परियोजना के सावधि ऋण खाते और पर्सनल इक्विटी से हुए असल खर्च को इनवॉइस और बैंक स्टेटमेंट से सत्यापित किया जाएगा। *हालांकि, जो परियोजना अपात्र/अस्वीकृत पाया जाता है या अंतिम मेरिट में नहीं आता है, उसका मंत्रालय में किसी भी तरह से कोई दावा नहीं होगा।*

(ङ) पीआईए को सलाह दी जाती है कि वह स्वीकृत उपकरण की कीमत कम करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प देखें, जैसे कॉम्बो ऑफ़र लेना या निर्यात, पुर्तिकर्ता या बिक्रेता से बातचीत करना। इससे हर उपकरण की असल कीमत में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ऐसे मामलों में,पीएसी द्वारा स्वीकृत उपकरण की कुल कीमत ही संदर्भित लिमिट रहेगी, और हर उपकरण के हिसाब से बदलावों पर उस कुल कीमत में ही विचार किया जाएगा।

(च) एफ़टीएल के लिए उपकरण सीधे ओरिजिनल उपकरण मैन्युफैक्चरर (ओईएम) या उनके प्राधिकृत पूर्तिकर्ता/विक्रेता से खरीदना होगा। किस्त जारी करने के लिए इस बारे में एक प्रमाण जमा करना होगा।

(छ) सब्सिडी फंड की उपलब्धता के आधार पर जारी की जाएगी।

6. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:

सभी आवेदको को मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल पर ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे । कोई भी प्रत्यक्ष आवेदन/दस्तावेज स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

(क) **अनुबंध-I** में दिए गए तय फ़ॉर्मैट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर)।

(ख) आवश्यक फीस जमा करने का प्रमाण।

(ग) निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसोसिएशन का ज्ञापन और अनुच्छेद, सोसायटी के उपनियम, पंजीकृत भागीदारी विलेख, पैन, टैन, एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो।

(घ) **(अनुबंध-XI** में बताई गई शर्तों के साथ वैधानिक प्रवधान के अनुसार तैयार किया गया) सीए/वैधानिक लेखा परिक्षक प्रमाण पत्र और दूसरे कागजी प्रमाणों के साथ, जो लागू हों या बताए गए हों।

(ङ) पिछले दो सालों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जहाँ भी लागू हो।

(च) संबंधित सरकार/प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट।

(छ) ज़मीन/बिल्डिंग का विवरण(मालिकाना आधार पर या पंजीकृत लीज़होल्ड पर) सेल/लीज़ डीड और सीएलयू के साथ । लीज की अवधि कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, जिसे राज्य सरकार के लागू नियम के हिसाब से 09 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर परियोजना के लिए ज़मीन राज्य सरकार /उसकी संस्थओं से लीज़ पर ली गई है, तो इस बारे में संबंधित राज्य सरकार की पॉलिसी का पालन किया जाएगा।

(ज) पीआईए के नाम पर लैंड टाइटल (ओनरशिप/ पंजीकृत लीजहोल्ड/सब-लीज्ड) के समर्थन में भूमि दस्तावेज का नोटराइज्ड अंग्रेजी/हिंदी वर्जन।

(झ) एफ़टीएल के लिए प्रस्तावित बिल्डिंग प्लान का ब्लूप्रिंट (वर्किंग सेक्शन-वाइज़)।

(ञ) **(ईओआई) अभिरूचि की अभिव्यक्ति** तारीख के बाद जारी किया गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/नाबार्ड/सिड्बी/एनईडीएफ़आई से परियोजना प्रस्ताव के लिए खास , **सटीक तौर पर हस्ताक्षरित और स्टैम्प लगा हुआ विस्तृत आंकलन नोट (डीएएन)।**

(ट) (ईओआई) अभिरूचि की अभिव्यक्ति तारीख के बाद जारी किया गया बैंक/सरकारी वित्तीय संरचना/आरबीआई-स्वीकृत एनबीएफ़सी से **साइन किया हुआ और स्टाम्प लगा हुआ अंतिम अवधि ऋण स्वीकृति पत्र ।**

(ठ) प्रस्तावित प्रयोगशाला उपकरणों का आइटम-वार विवरण, विनिर्देशों के साथ और लागत (मूल और जीएसटी/शुल्कअलग से), **अनुबंध-II के** अनुसार ।

(ड) फर्नीचर और फिक्सचर (एफएंडएफ) का वस्तु-वार और लागत-वार (मूल और जीएसटी/कर अलग-अलग) विवरण **अनुबंध-III के अनुसार है।**

(ढ) परियोजना के लिए सभी प्रस्तावित उपकरण के संबंध में ओरिजिनल उपकरण मैन्युफैक्चरर (या उसके प्राधिकृत विक्रता /पूर्तिकर्ता) से संविदा दर ।

(ण) आस-पास के इलाके में खाद्य उद्योग की जानकारी, जहाँ खाद्य परीक्षण सैंपल का कारोबार नियोजित किया गया है, अनुबंध - **1V** के अनुसार है ।

टिप्पणी :

(i) ऊपर दिए गए खंड ड) और ढ) के संबंध में, अगर जीएसटी/टैक्स का विवरण नहीं दिया जाता हैं, तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) ***मात्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने से कोई भी संस्था पात्र नहीं होगी।***

7. शुल्क और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी:

क . शुल्क :
आवेदक को "भुगतान एवं लेखा अधिकारी,खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली" के नाम पर डिमांड ड्राफ़्ट के ज़रिए ₹20,000 की गैर वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क जमा करना होगा। अनु. जा./अनु. जन. जा आवेदक के लिए फ़ीस ₹15,000 है।

ख. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी:

i) वित्तीय सहायता के लिए चुने जाने पर आवेदक को मंत्रालय के अनुमोदन पत्र जारी होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर **पात्र सब्सिडी के 5%** के बराबर **परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में वापसी योग्य बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।**

ii) **परफॉर्मेंस सिक्योरिटी** एनएबीएल मान्यता के साथ परियोजना की वास्तविक समाप्ति तिथि से (साठ) 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

8. वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का चयन:-

(क) मंत्रालय अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओ आई) जारी करके प्रस्ताव मंगाएगी। आवेदन सिर्फ़ मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल (https://www.sampada-mofpi.gov.in) पर "Apply Online and Track status here" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन जमा करनी होंगी।

(ख) प्रस्तावों की जांच/विचार/मंज़ूरी के लिए मंत्रालय एक तकनीकी कमेटी (टीसी) और एक परियोजना स्वीकृति समिति (पीएसी) बनाएगा। तकनीकी कमेटी और परियोजना स्वीकृति समिति को मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) मदद कर सकती है।

(ग) तकनीकी कमेटी पात्रता क्राइटेरिया के आधार पर **प्रथम दृष्टया पात्रता** के लिए आवेदन की जांच करेगी । प्रथम दृष्टया पात्र पाए गए प्रस्ताव का फिर **तकनीकी मानको** और आंकलन के **आधार पर** मूल्यांकन **किया जाएगा । (परिशिष्ट क)।**

(घ) प्रस्तुति के लिए विचार/शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए, तकनीकी समिति (टीसी) के मूल्यांकन के अनुसार प्रस्ताव को न्यूनतम **60%अंक लाने होंगे। लेकिन** अनु. जा./अनु. जन. जा श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम अंक **45% होंगे।**

(ङ) सब्सिडी पर विचार के लिए पात्र पाए गए प्रस्तावों के संबंध में , तकनीकी समिति की सिफारिशें विचार के लिए परियोजना स्वीकृति समिति के सामने रखी जाएंगी।

(च) समिति और परियोजना स्वीकृति समिति की मीटिंग के दौरान प्रस्ताव समझाने के लिए आवेदक या उसके प्राधिकारी प्रतिनिधि की मौजूदगी ज़रूरी हो सकती है।

(छ) तकनीकी मूल्यांकन और प्रस्तुति स्कोर मिलाकर मिले कुल स्कोर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके अनुसार, स्कीम दिशानिर्देश के अनुसार स्वीकृति दि जाएगी।

(ज) अगर पात्र प्रस्ताव के अंक बराबर हैं, तो ज़्यादा पात्र परियोजना लागत वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी।

(झ) प्रस्तावों की पात्रता, सब्सिडी के लिए प्रस्तावों के चयन और स्वीकृत सब्सिडी की मात्रा के बारे में परियोजना स्वीकृति समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(ञ) मंत्रालय सफल आवेदकों को मंजूरी पत्र जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना का विवरण, कुल परियोजना लागत, पात्र परियोजना लागत, स्वीकृत सब्सिडी , स्वीकृत परियोजना की समाप्ति अनुसूची, नियम और शर्तें तथा अन्य प्रासंगिक विवरण दिए जाएंगे।

(ट) स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बताए गए फॉर्मेट में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :

i. **स्वीकृति पत्र (अनुबंध-V)**
ii. **नोटराइज़्ड एफिडेविट / अंडरटेकिंग (संलग्नक-I)**
iii. **पीएफ़एमएस रजिस्ट्रेशन के लिए एजेंसी की जानकारी (संलग्नक-II)**
iv. **बैंक ईसीएस अधिदेश फॉर्म (संलग्नक-III)**
v. **अनुमोदन पत्र की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति**
vi. **पात्र सब्सिडी के 5% के बराबर बैंक गारंटी ।**
vii. तय फ़ॉर्मेट में नोटराइज़्ड जमानत बॉन्ड **(अनुबंध-VIII)** नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जिसका दाम कम से कम ₹100/- हो और **अनुबंध-VIII (a),** जमानत बॉन्ड का हिस्सा हो। जमानत बॉन्ड की मूल कॉपी मंत्रालय को जमा करनी होगी ।

(ठ) एक बार स्वीकृति पत्र और **संलग्नक-I (एफिडेविट)** मिल जाने पर, आवेदक को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) कहा जाएगा।

(ड) मंत्रालय को किसी खास जगह/इलाके से मंज़ूर किए जाने वाले परियोजनाओं की संख्या पर फ़ैसला लेने का अधिकार है ।

(ढ) जिन आवेदकों के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं (चाहे पात्रता मानको या तकनीकी मापदंड या किसी और कारण से) उन्हें मंत्रालय द्वारा किए गए चयन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद अस्वीकृति के कारणों के साथ अवगत कराया जाएगा।

(ण) अपने प्रस्ताव की अस्वीकृति से असंतुष्ट आवेदक मंत्रालय से मिली जानकारी की तारीख से 30 दिनों के अंदर परियोजना स्वीकृति समिति के सामने अपील का कारण बताते हुए अपील कर सकते है।

9. कार्यान्वयन अनुसूची:

(क) सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को पूरा करने और चालू करने का समय अनुमोदन पत्र जारी करने के 24 महीने होंगे तथा दुर्गम क्षेत्र के लिए 30 महीने।

(ख) अपरिहार्य परिस्थितियों में, उप खंड (क) में वर्णित अवधि के लिए, समय सारिणी में देरी को मंत्रालय के सचिव द्वारा माफ किया जा सकता है। अगर ऐसी माफी मिलती है तो सब्सिडी में कटौती के बिना, समय सीमा में उस हिसाब से राहत मिलेगी ।

टिप्पणी:

i. *इन दिशानिर्देशों के लिए* अपरिहार्य परिस्थितियों *का मतलब है ईश्वरीय आपदा, जिसमें सूखा, आग और धमाका, भूकंप, लैंडस्लाइड, बाढ़, साइक्लोन और ऐसी दूसरी घटनाएँ शामिल हैं; किसी भारतीय सरकारी संस्था की तरफ़ से कोई भी गैर-कानूनी, गलत या भेदभाव वाला काम जो परियोजना के खिलाफ़ हो, बशर्ते कि कोई काबिल कोर्ट उस काम को गैर-कानूनी, गलत और भेदभाव वाला घोषित करे और उसे रद्द कर दे; युद्ध, हमला, हथियारबंद लड़ाई या विदेशी दुश्मन की हरकत, ब्लॉकेड, बैन, क्रांति, दंगा, बगावत, आतंकवादी या मिलिट्री कार्रवाई; इंडस्ट्री में हड़ताल और मज़दूरों की गड़बड़ी, जिसका भारत में पूरे देश में असर हो; कोई महामारी; या कोई ऐसी घटना जिसे भारत सरकार पूरे भारत के लिए या किसी राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए फ़ोर्स मेज्योर घोषित करे।*

ii. *परियोजनाओं के पूरा होने में देरी (*अपरिहार्य परिस्थितियों *को छोड़कर)* के कारण *से खंड-9(क) में बताई गई अवधि से छह महीने तक की देरी के लिए मंत्रालय के संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव, मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार से सलाह करके दे सकते हैं। परियोजना के तय समय से छह महीने से ज़्यादा की देरी के लिए प्रभारी मंत्री ही माफ़ी देंगे। परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा में ऐसे किसी भी विस्तार के बावजूद, सब्सिडी में कटौती ऊपर दिए गए उप – खंड (क) के अनुसार लागू करने के शेड्यूल के आधार पर होगी।*

10. सब्सिडी जारी करना :

(क) सब्सिडी स्वीकृत सार्वधिक ऋण 50%, 40% और 10% की तीन किश्तों में जारी की जाएगी।

(ख) किश्तों के जारी करने के लिए दावा जमा करने का शेड्यूल (स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से) इस तरह होगा:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य क्षेत्र	दुर्गम क्षेत्र
1	पहली किस्त @ स्वीकृत सार्वधिक ऋण 50%	10 महीनों के भीतर	13 महीनों के भीतर
2	दूसरी किस्त @ स्वीकृत सार्वधिक ऋण 40%	20 महीनों के भीतर	26 महीनों के भीतर
3.	तीसरी किस्त @10 % स्वीकृत सार्वधिक ऋण एनएबीएल मान्यता के साथ परियोजना पूरा होने पर।	24 महीनों के भीतर	30 महीनों के भीतर

(ग) सबसे ज़्यादा क्लेम की गई किस्त की ज़रूरतों को पूरा करने पर किस्तों के मांग को क्लब किया जा सकता है ।

(घ) हर किस्त जारी करने से पहले, मंत्रालय पीएमए/मंत्रालय के दौरे अधिकारियों या कंसल्टेंट्स से परियोजना का दौरा और सत्यापन करवाएगी। पीएमए के विज़िट के अलावा, मंत्रालय किस्त जारी करने से पहले परियोजना का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों या कंसल्टेंट्स/एक्सपर्ट्स या किसी और व्यक्ति को भी भेज सकती है।

(ङ) पी अपई ए को इसके लिए तीन डेडिकेटेड बैंक अकाउंट खोलने होंगे।

(i) पी.आई.ए. द्वारा योगदान,

(ii) बैंक से सावधि ऋण और

(iii) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से सब्सिडी।

परियोजना को लागू करने पर खर्च सिर्फ़ इन्हीं खातों से होगा।

(च) सब्सिडी जारी करने का दावा करने के लिए मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के हर पेज पर पीआईए या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हताक्षर होने चाहिए।

(छ) सब्सिडी की आखिरी किस्त पुनः गणना के बाद जारी की जाएगी। इसके लिए, पहले से स्वीकृत आइटम्स की स्वीकृत और वास्तविक लागत की तुलना की जाएगी और दोनों में से जो कम होगी, उसे सब्सिडी के पुनः गणना के लिए माना जाएगा। उस स्टेज पर बैंक सार्वधिक ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी का हिस्सा, संबंधित थ्रेशहोल्ड लिमिट के हिसाब से भी माना जाएगा।

(ज) संस्थओं को सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी होने के चार महीने (सामान्य क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र) के अंदर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त करना होगा। तय समय में एनएबीएल मान्यता मिलने पर परियोजना रद्द कर दि जाएगी और पहले दी गई रकम 10% पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ वापस ले ली जाएगी, साथ ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई बैंक गारंटी भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

(झ) अंतिम किस्त जारी करने से पहले, परियोजना/प्रयोगशाला के सामने ये चीज़ें साफ़-साफ़ दिखानी होंगी –

"परियोजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से मदद मिल रही है ।"

11 सब्सिडी जारी करने से पहले दस्तावेजों की ज़रूरत :

क. प्रथम किस्त(सब्सिडी का 50%) :

i. **अनुबंध-VI** के अनुसार प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि मंत्रालय से स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख के बाद परियोजना पर कम से कम 50% इक्विटी और 50% सार्वधिक ऋण खर्च किया गया है। पहली किस्त जारी करने के लिए दस्तावेज जमा करने से पहले संस्था द्वारा सब्सिडी की पहली किस्त के बराबर खर्च किया होना चाहिए।

ii. बैंक से स्वीकृति कि कुल स्वीकृति सार्वधिक ऋण का 50% बैंक ने दे दिया है।

iii. तीन(करंट) बैंक अकाउंट का विवरण जो निम्नलिखित हेतु अलग-अलग बनाए रखे गए।

(क) पीआईए द्वारा योगदान,

(ख) बैंक से सावधि ऋण और

(ग) मंत्रालय से सब्सिडी ,

अपने-अपने अकाउंट में निधि की उपलब्धता भी बतानी होगी । पीआईए यह पक्का करेगा कि परियोजना पर सभी भुगतान सिर्फ़ इन्हीं तीन अकाउंट से किए जाएं। अगर और अकाउंट की ज़रूरत हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत बताते हुए मंत्रालय से पहले मंज़ूरी ली जा सकती है।

iv. बैंक स्टेटमेंट की कॉपी और एक एक्सेल शीट जिसमें प्रतिकर्ता को किए गए सभी भुगतान का तारीख के हिसाब से विवरण हो। पीआईए को यह पक्का करना होगा कि परियोजना के पात्र हिस्सों से जुड़े भुगतान अपलोड किए गए बैंक स्टेटमेंट में साफ तौर पर दिखाए गए हों। इसके अलावा, बैंक स्टेटमेंट में उन वेंडर के नाम साफ तौर पर लिखे होने चाहिए जिन्हें भुगतान किया गया है। अगर बैंक स्टेटमेंट में वेंडर का नाम नहीं है, तो पीआईए को बैंक से वेंडर के नाम के साथ भुगतान का घोषणा –पत्र जमा करना होगा।

v. बिल्डिंग प्लान/ ब्लू प्रिंट/ ले-आउट/ बिल्डिंग की फोटो। (सही लेआउट प्लान के सैंपल के लिए एफ़एसएसएआई दिशानिर्देश देखें।)

vi. परियोजना की अलग-अलग एंगल और जगहों से जियो-टैग्ड तस्वीरें, जिसमें सभी स्थापित किए गए/मौजूद उपकरण शामिल हों, हर उपकरण का सीरियल नंबर दिखाते हुए दी जाएंगी ।

vii. खरीदे गए, जांच हुए और स्थापित किए गए स्वीकृत उपकरण की विस्तृत सूची, जिसमें अनुबंध-VII (क) के अनुसार स्वीकृत लागत और वास्तविक लागत बताई गई हो , **साथ ही स्थापना रिपोर्ट भी।**

viii. खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए तकनीकी सिविल कार्य और खरीदे गए फर्नीचर और फिक्स्चर का ब्यौरा **अनुबंध-VII (ख)** के अनुसार है ।

ix. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पहले मिली सब्सिडी के उपयोग का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

x. मंत्रालय के स्वीकृति पत्र में बताए गए किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना ।

xi. असल वास्तविक भौतिक प्रगति को सत्यापित करने के लिए भौतिक स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट।

टिप्पणी:

i. रजिस्टर्ड लीज़होल्ड ज़मीन के मामले में, लीज़ का समय कम से कम 5 साल होना चाहिए , जिसे अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) के प्रकाशन की तारीख से राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार 09 साल तक बढ़ाया जा सकता है ।

ii. मंत्रालय/पीएमए परियोजना के आंकलन या सब्सिडी तय करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।

iii. पीआईए फाइनेंस के तरीकों या परियोजना के किसी भी हिस्से या प्लान में किसी भी बदलाव को मंत्रालय के ध्यान में लाएगा ताकि उस पर सही तरीके से सोच विचार किया जा सके।

iv. अगर उपकरण की कीमतों में अंतर या दूसरे सही कारणों से तय अनुपात में पहली किस्त देना मुमकिन नहीं है, तो पहली किस्त कुल सब्सिडी रकम का 50% तक तय की जा सकती है। ऐसे बदलावों के लिए पीएमकेएसवाई के सयुंक्त सचिव या अपर सचिव से पहले मंज़ूरी लेनी होगी।

ख . दूसरी किस्त (सब्सिडी का 40% **) :**

i. **अनुबंध-VI** के अनुसार प्रमाण-पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि मंत्रालय से स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख के बाद, परियोजना पर 100% इक्विटी, 100% सार्वधिक ऋण और पहली किस्त के तौर पर जारी 100% सब्सिडी खर्च की गई है, जैसा भी लागू हो।

ii. बैंक से पुष्टि कि बैंक से पूरा (100%) सार्वधिक ऋण मंज़ूर किया गया है।

iii. बैंक स्टेटमेंट की कॉपी और एक एक्सेल शीट जिसमें पूतिकर्ता को किए गए सभी भुगतान की तारीख के हिसाब से विवरण हो। पीआईए को यह पक्का करना होगा कि परियोजना के पात्र हिस्सों से जुड़े भुगतान अपलोड किए गए बैंक स्टेटमेंट में साफ तौर पर दिखाए गए हों। इसके अलावा, बैंक स्टेटमेंट में उन वेंडरों के नाम साफ तौर पर लिखे होने चाहिए जिन्हें भुगतान किया गया है। अगर बैंक स्टेटमेंट में वेंडर का नाम नहीं है, तो पीआईए को बैंक से वेंडर के नाम के साथ भुगतान का घोषणा-पत्र जमा करना होगा।

iv. **एनएबीएल द्वारा जारी आंकलन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। पूर्व-आंकलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।**

v. **इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के साथ** खरीदे गए, जाँचे गए और स्थापित किए गए स्वीकृत उपकरण की विस्तृत सूची , जिसमें **अनुबंध-VII** (क) के अनुसार स्वीकृत लागत और वास्तविक लागत बताई गई हो।

vi. सब्सिडी के अंतर्गत फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला में खरीदे गए/किए गए तकनीकी सिविल कार्य और फर्नीचर और फिक्सचर का विवरण, **अनुबंध-VII (ख)** के अनुसार दिया गया है ।

vii. परियोजना की अलग-अलग एंगल और जगहों से ली गई जियो-टैग्ड तस्वीरें, जिसमें सभी स्थापित किए गए/मौजूद उपकरण शामिल हों, उपकरण का सीरियल नंबर दिखाते हुए दी जाएंगी ।

viii. मंत्रालय के स्वीकृति पत्र में बताए गए किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना ।

ix. परियोजना के प्रमाणस्वरूप साफ़-साफ़ लिखा हुआ प्रमाण, "परियोजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से मदद मिली है "।

x. परियोजना की वास्तविक भौतिक प्रगति और कमर्शियल ऑपरेशन को सत्यापित करने के लिए भौतिक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

ग . तीसरी किस्त (सब्सिडी का 10%) :

i. डीपीआर के आधार पर प्रस्तावित/स्वीकृत मापदंडो के संबंध में बनाई गई सुविधाएं और स्वीकृत उपकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित परिक्षणों के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र।

ii. **अनुबंध-IX** के अनुसार परियोजना के पूरा होने और व्यवसायीकरण के बारे में सेल्फ-घोषणा-पत्र , **जिसके साथ ज़रूरी दस्तावेजों (बिल/इनवॉइस वगैरह) हों।**

12. परियोजना के घटकों एवं लागत में परिवर्तन :

(क) संबंधित अपर सचिव/सयुंक्त सचिव द्वारा निम्नलिखित को मंज़ूरी दी जा सकती है :

(i) पात्र परियोजना लागत में कमी (उपकरण, सिविल कार्य, या संलग्नक-क के अंतर्गत मिले संबंधित अंक में कोई बदलाव किए बिना।)
(ii) बैंक में बदलाव।
(iii) बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स या पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव (जो प्रवर्तक, संस्थओंया पार्टनर अभिरूचि की अभिव्यक्तिकी (इ ओ आई) तारीख तक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं, उन पर परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।)
(iv) वित्त के साधनों में बदलाव तय सीमा के अधीन है।

(ख) पीएसी द्वारा निम्नलिखित को मंज़ूरी दी जा सकती है

(i) परियोजना घटकों में कमी,
(ii) परियोजना के घटकों या लागत में परिवर्तन, उपरोक्त (क) के अलावा,
(iii) स्थान में परिवर्तन
(iv) शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन
(v) उपकरण, सिविल कार्य में बदलाव या संलग्नक-क के अंतर्गत मिले संबंधित अंक के साथ पात्र परियोजना लागत में कमी।

13. सहायता का समन्वयन :

पीआईए दूसरी केंद्रिय/राज्य सरकारस्टेट गवर्नमेंट की अलग-अलग योजना के अंतर्गत मिलने वाली मदद को मिला सकता है, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बेहतर होगी। ऐसी मदद को परस्पर जोड़ते समय, यह पक्का किया जाएगा कि परियोजना के एक ही घटक/सक्रियता के लिए मदद का दोहराई न गई हो। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजना या उसी परियोजना के हिस्से/घटक को भारत सरकार की दूसरी स्कीम के अंतर्गत फायदा नहीं मिलना चाहिए।

14. निगरानी और मूल्यांकन:

(क) मंत्रालय अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के अंतर्गत मिले प्रस्तावों की जांच, , निगरानी और मूल्यांकन और मंज़ूर परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण के लिए पीएमए और/या सलाहकारों की मदद ले सकता है।

(ख) मंत्रालय स्कीम के अंतर्गत मंज़ूर परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए सलाहकारों/विशेषज्ञों का एक पैनल भी बना सकती है।

(ग) आवश्यकता अनुसार मंत्रालय स्वीकृति से पहले और बाद में निरीक्षण कर सकता है (पीएमए और/या सलाहकार को भी निरीक्षण और निगरानी का काम दिया जा सकता है)। यह संस्था के लिए ज़रूरी होगा कि वह मंत्रालय के प्रतिनिधियों या मंत्रालय के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय प्रयोगशाला का निरीक्षण/फिजिकल वेरिफिकेशन करने दे।

(घ) मंत्रालय/पीएमए परियोजना के आंकलन या सब्सिडी तय करने के लिए और दस्तावेज/जानकारी मांग सकता है। पीआईए, मंत्रालय/पीएमए द्वारा मांगी गई ऐसी जानकारी/दस्तावेज तुरंत देगा।

(ङ) आवेदक संगठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफ़आर) का पालन करेगा।

15. परियोजना का क्रियान्वयन न करना या विलम्ब करना तथा सब्सिडी का समायोजन, कटौती एवं वापसी :

(क) सामान्य क्षेत्र में 24 महीने और दुर्गम क्षेत्र में 30 महीने की तय समय सीमा के अनुसार पूरा करेगा ।

(ख) खंड पी आई ए परियोजना को (क) के अनुसार,अप्रत्यशित घटना या प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों को छोड़कर तय समय सीमा का पालन न करने पर, स्वीकृत सब्सिडी नीचे दिए गए तरीके से काटी जाएगी, चाहे समय सीमा में कोई भी बढ़ोतरी हो,

क्रं. सं.	विलंब	(सब्सिडी की %) कटौती
1	तीन महीने तक	शून्य
2	3 महीने से अधिक और 4 महीने तक	**1.0%**
3	4 महीने से अधिक और 5 महीने तक	**2.0%**
4	5 महीने से अधिक और 6 महीने तक	**3.0%**
5	6 महीने से अधिक और 7 महीने तक	**4.0%**
6	7 महीने से ज़्यादा और 8 महीने तक	**5.0%**
7	8 महीने से अधिक और 9 महीने तक	**6.0%**
8	9 महीने से ज़्यादा और 10 महीने तक	**7.0%**
9	10 महीने से ज़्यादा और 11 महीने तक	**8.0%**
10	11 महीने से ज़्यादा और 12 महीने तक	**9.0%**
11	12 महीने से अधिक	**10.0%**

टिप्पणी :

देरी की अवधि पूरा होने की तय तारीख (स्वीकृति पत्र की तारीख से 24/30 महीने) और सम्पदा पोर्टल पर अंतिम मंज़ूर दस्तावेजों को अपलोड करने की तारीख के बीच का समय है।

(ग) सब्सिडी की अवधि, मात्रा और कटौती के संबंध में मंत्रालय का फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(घ) मंत्रालय को, जारी की गई सब्सिडी के रिफंड के निर्देश के साथ या बिना निर्देश के, कारण बताने के बाद, किसी भी परियोजना को बंद करने का अधिकार होगा।

(ङ) अगर किसी भी समय, मंत्रालय को पता चलता है कि जानकारी/ तथ्यों में हेरफेर/छिपाव/गलत जानकारी देकर सब्सिडी ली गई है , तो मंत्रालय द्वारा दी गई ऐसी सब्सिडी 10% सालाना ब्याज के साथ वापस करणी पडगी। जानकारी/तथ्यों में हेरफेर/छुपी/गलत जानकारी देने पर मौजूदा कानूनों के अनुसार दूसरी सिविल/क्रिमिनल देनदारियां भी लग सकती हैं।

(च) अगर पीआईए स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद परियोजना को पूरा करने से पीछे हटता है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई बैंक गारंटी ज़ब्त कर ली जाएगी, भले ही सब्सिडी की रकम जारी न की गई हो।

(छ) अगर पीआईए परियोजना को पूरा करने से पीछे हटती है, तो मंत्रालय की तरफ से उसे दी गई सब्सिडी की रकम, 10% सालाना ब्याज के साथ, पीआईए को मंत्रालय को सब्सिडी वापस करने के लिए संप्रेषण के 30 दिनों के अंदर वापस करनी होगी। इसके साथ ही, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई बैंक गारंटी भी ज़ब्त हो जाएगी।

(ज) स्कीम दिशानिर्देशऔर स्वीकृति पत्र की शर्तों में चूक या हेरफेर/छिपाने या उनका पालन न करने वाले सभी मामलों में, मंत्रालय कोई भी दूसरी जुर्माना लगा सकती है, जो सटिक हो

16. विविध प्रावधान :

(क) दिशानिर्देश के प्रोविज़न और/या उसके द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के बारे में मंत्रालय की व्याख्या अंतिम होगी और पीआईए के लिए बाध्य होगी।

(ख) मंत्रालय, परियोजना को लागू करने के किसी भी स्टेज पर आवेदक या परियोजना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी (पीआईए) से कोई भी स्पष्टीकरण मांग सकती है या कोई दस्तावेज/जानकारी जमा करने का निर्देश दे सकती है।

(ग) मंत्रालय परियोजना के लागू होने के दौरान या उसके बाद परियोजना की जगह का निरीक्षण कर सकती है। इस मकसद के लिए, वह अपने अधिकारियों, पीएमए या सलाहकारों या किसी और व्यक्ति को, जिसे वह सही समझे, भेज सकती है। ऐसा निरीक्षण खुद जाकर या वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है। पीआईए या उसका अगला निरीक्षण, अगर कोई हो, ऐसे किसी भी निरीक्षण में पूरा समर्थन और सहयोग देगा।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, या किसी दूसरी एजेंसी/अथॉरिटी की ज़रूरतों को मानेगी ।

(ङ) इस सब्सिडी से मिली संपत्ति को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहले से मंज़ूरी के बिना, न तो बेचा जाएगा, न ही उसे गिरवी रखा जाएगा और न ही उस मकसद के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए यह सब्सिडी मंज़ूर की गई है।

(च) स्कीम के अंतर्गत बनाई जाने वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन/खाद्य उद्योग की कैप्टिव/इन-हाउस यूनिट नहीं होंगी। प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की सर्विस का इस्तेमाल आम लोग कर सकेंगे, जिसमें फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर (एफ़बीओ), एचओआरईसीए (होटल/रेस्टोरेंट/कैटरिंग), और फ़ूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंपनियाँ शामिल हैं।

(छ) अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओई) में बताई गई तय समय सीमा के बाद प्रस्ताव जमा करने में किसी भी देरी के लिए मंत्रालय ज़िम्मेदार नहीं होगी। तय समय सीमा के बाद मिले प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अधूरी जानकारी वाले या ज़रूरी दस्तावेजों की कमी वाले प्रस्ताव रिजेक्ट भी हो सकते हैं।

(ज) अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी दस्तावेजों के साथ सिर्फ़ आवेदन जमा करने से आवेदक को स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता । सब्सिडी मेरिट, संलग्नक-क में दिए गए आंकलन मानक के अनुसार प्रस्ताव के मूल्यांकन और तकनीकी कमेटी और परियोजना स्वीकृति समिति की सिफारिश के आधार पर मंज़ूर की जाएगी ।

(झ) जब मूल दस्तावेज स्थानीय भाषा में हों, तो उनके साथ नोटराइज्ड अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद होना चाहिए।

(ञ) अगर पीआईए दिशानिर्देश/स्वीकृति पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ज़ब्त कर ली जाएगी। अगर पीआईए परियोजना को मंज़ूरी मिलने के बाद भी पूरा नहीं कर पाती है या उससे हट जाती है, तो मंत्रालय परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई बैंक गारंटी को कैश कराने के लिए मजबूर करेगी।

(ट) कमर्शियल ऑपरेशन के प्रूफ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न /एमएसएमई उद्यम आधार, टेस्ट किए गए सैंपल के इनवॉइस शामिल होंगे।

17. न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :

दिशानिर्देश लागू करने से होने वाला कोई भी विवाद, जिसमें प्रस्ताव चुनना या फाइनेंशियल मदद देना शामिल है, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट/ट्रिब्यूनल के अधीन होगा। किसी प्रकार के विधिक प्रकरण मे अंग्रेजी मे प्रकाशित दिशा निर्देश ही मान्य होंगे।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए मानदंड

दिशा-निर्देशों में बताई गई शर्तों के आधार पर जो प्रस्ताव पहली नज़र में पात्र पाए जाएंगे, उनका मूल्यांकन नीचे दिए गए आंकलन मानदंड के हिसाब से किया जाएगा:

क्र. सं.	प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए मानदंड	अंक	अधिकतम अंक	आवश्यकता
1	उपयुक्त भूमि या भवन पर अधिकार		15	
1.1	ज़मीन का पूरा टाइटल - सेल डीड/रजिस्टर्ड लीज़* डीड / पज़ेशन पत्र / राज्य सरकार की एजेंसियों / एमएफ़पी / एपीसी से पीआईए के नाम पर अलॉटमेंट पत्र और सीएलयू *लैंड/बिल्डिंग लीज़ का कम से कम समय 5 साल होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार 09 साल तक बढ़ाया जा सकता है । (5 साल की अवधि या तो उस अभिरूचि की अभिव्यक्तिकी क्लोजर डेट से कैलकुलेट की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है या लीज़ डीड साइन करने की तारीख से, जो भी बाद में हो।)	15		राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सेल या लीज़ डीड/सब-लीज़ डीड। राज्य सरकार द्वारा जारी सीएलयू स्वीकृति। नोट: *सीएलयू स्वीकृति राज्य सरकार की सक्षम अथॉरिटी से लेना होगा। हालांकि, अगर उस क्षेत्र को राज्य सरकार ने पहले ही औद्योगिक या व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए नोटिफाई कर दिया है, तो अलग से सीएलयू स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार द्वारा जारी संबंधित गजट नोटिफिकेशन की एक कॉपी, जिसमें तय ज़मीन का इस्तेमाल बताया गया हो, सबूत के तौर पर जमा करनी होगी।*
1.2	पीआईए के नाम बिना सीएलयू के भूमि का पूरा मालिकाना हक - बिक्री विलेख / पंजीकृत पट्टा विलेख / कब्जा पत्र / राज्य सरकार एजेंसियों/एमएफपी/एपीसी से आवंटन पत्र। *लीज़ का कम से कम समय 5 साल होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार 09 साल तक बढ़ाया जा सकता है। (5 साल की अवधि या तो उस अभिरूचि की अभिव्यक्तिकी गणना क्लोजर डेट से की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है या लीज़ डीड	10		राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सेल या लीज़ डीड/सब-लीज़ डीड।

	साइन करने की तारीख से, जो भी बाद में हो।)			
1.3	पीआईए के नाम पर भूमि/भवन की बिक्री/खरीद का समझौता	**05**		समझौते की कॉपी (आबंटन/कब्जा किसी भी हालत में समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से छह महीने के अंदर पूरा हो जाएगा।)
2	बैंक मूल्यांकन के आधार पर परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता (मुख्य वित्तीय पैरामीटर जैसे आईआरआर, औसत डीएससीआर, रोल) आईआरआर, डीएससीआर और डीईआर बैंक अप्रेज़ल नोट से लिए जाएंगे। अगर विस्तृत आंकलन नोट में आईआरआर और/या डीएससीआर नहीं दिए गए हैं, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।)		**15**	बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट
2.1	आईआरआर के लिए अधिकतम अंक = 8 अंक **≥** 20% है तो 8अंकदिए जाएंगे अगर आईआरआर ≥15% और <20% है तो 5अंकदिए जाएंगे अगर आईआरआर ≥10% और < 15% है तो 2अंकदिए जाएंगे अगर आईआरआर < 10% है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	**8**		बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट
2.2	औसत डीएससीआर के लिए अधिकतम अंक= 7 अंक (क) अगर औसत डीएससीआर ≥2.5 है तो 7 अंक दिए जाएंगे (ख) अगर औसत डीएससीआर ≥ 2.0 और < 2.5 है तो 4अंक दिए जाएंगे। (ग) अगर औसत डीएससीआर ≥1.5 और < 2.0 है तो 2अंकदिए जाएंगे। (घ) अगर औसत डीएससीआर <1.5 है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	7		बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट
3	पात्र परियोजना लागत		**10**	डीपीआर और बैंक अप्रेज़ल रिपोर्ट के अनुसार
3.1	₹10 करोड़ के बराबर या उससे अधिक	10		

3.2	₹7 करोड़ से अधिक और ₹10 करोड़ से कम	07		
3.3	₹7 करोड़ से कम या उसके बराबर	03		
4	हाई-एंड उपकरण:- i. जीसी-एमएस/एमएस ii. एलसी-एमएस/एमएस iii. एलसी-आईसीपीएमएस iv. एनएमआर v. एचपीएलसी vi. आईआरएमएस vii. एचआरएमएस		**15**	डीपीआर और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट
4.1	अगर प्रस्ताव में ऊपर बताए गए 3 से ज़्यादा HI-एंड उपकरण शामिल हैं।	15		
4.2	अगर प्रस्ताव में ऊपर बताए गए पाँच हाई-एंड उपकरण में से कोई तीन शामिल हैं।	10		
4.3	अगर प्रस्ताव में ऊपर बताए गए पाँच हाई-एंड उपकरण में से कोई दो शामिल हैं।	06		
5.	एमएसएमई* सेक्टर से एक प्रस्ताव	07	07	उद्यम एमएसएमई पंजीकरण
6.	एक महिला उद्यमी का प्रस्ताव	03	03	एमओए/डीड/वर्तमान बैलेंस शीट
7.	पहले ली गई सब्सिडी		10	
7.1	ऐसी संस्था जिसे एफ़एसक्यूएआई कंपोनेंट स्कीम के अंतर्गत कभी कोई सब्सिडी नहीं मिली हो।	10		इकाई द्वारा अंडरटेकिंग
7.2	कोई संस्था या संस्था का प्रवर्तक जिसे पहले एफ़एसक्यूएआई कंपोनेंट स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी मिली हो, बशर्ते वह किसी नए जिले में प्रयोगशाला का प्रस्ताव दे, जहाँ वह अभी किसी दूसरी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का मालिक न हो, उसे मैनेज या ऑपरेट न करता हो।	05		इकाई द्वारा अंडरटेकिंग
8.	यह परियोजना ऐसे ज़िले में लगाने का प्रस्ताव है जहाँ एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण लैबोरेटरी उपलब्ध नहीं है।		05	अभिरूचि की अभिव्यक्तिकी तारीख को एनएबीएल वेबसाइट पर उपलब्ध लिस्ट के अनुसार।
9.	अनुबंध-XII में बताए गए बड़े एयरपोर्ट या बड़े पोर्ट से तंत्रानुसार व्यवहार्य दूरी (100 km तक) के अंदर लगाए जाने वाले परियोजना।		05	डीपीआर/बैंक अप्रेज़ल नोट में प्रस्तावित जगह के लैटिट्यूड/लोंगीट्यूड के अनुसार
	उप-योग		85	

10.	परियोजना स्वीकृति समिति (पीएसी) के सामने पात्र प्रमोटर्स का तकनीकी प्रस्तुतिकरण		15	
10.1	बिज़नेस मॉडल का प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण	10		
10.2	परियोजना के कार्यान्वयन अनुसूची और व्यवहार्यता के लिए	5		
कुल			**100**	

नोट: *सब्सिडी के लिए विचार के लिए प्रस्ताव को कम से कम 60% अंक लाने होंगे। अनु. जा./अनु.जन.जा. कैटेगरी के आवेदकों के लिए कम से कम 45% अंक होंगे।*

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1364 (ई), दिनांक 21 मार्च 2025 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 7(9) और धारा 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए — भारत के राजपत्र, विशेष, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित।

अनुबंधों की सूची

अनुबंध-I	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र /डीपीआर.
अनुबंध-II	लागत मानदंडों के अनुसार विनिर्देशों और लागत के साथ प्रस्तावित प्रयोगशाला उपकरणों का मद-वार विवरण
अनुबंध-III	प्रस्तावित तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर (एफएंडएफ) के प्रमाणित लागत अनुमान।
अनुबंध -IV	आस-पास के क्षेत्र में खाद्य उद्योग का विवरण जहाँ खाद्य परीक्षण नमूनों के लिए व्यवसाय लक्षित है
अनुबंध-V	[स्वीकृति पत्र] (अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर पी.आई.ए. के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)।
	अनुलग्नक -I शपथ पत्र।(बोर्ड केसंकल्प के साथ नोटरीकृत)
	अनुलग्नक -II पीएफएमएस पंजीकरण।
	अनुलग्नक -III ईसीएस मैनडेट फॉर्म
अनुबंध-VI	चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र (सदस्यता/पंजीकरण संख्या के साथ (चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेटर हेड) (सीए प्रमाण पत्र, बिना अग्रिन भुगतान के।
अनुबंध-VII (क)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जारी अनुदान के अंतर्गत खरीदे गए और स्थापित किए गए उपकरणों का विवरण।
अनुबंध-VII (ख)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी के अंतर्गत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में खरीदे गए/किए गए तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर का विवरण।
अनुबंध - VIII	ज़मानत बंधपत्र (नोटरीकृत)।
अनुबंध –VIII (k)	**बोर्ड संकल्प –ज़मानत** बंधपत्र का एक हिस्सा ।
अनुबंध-IX	स्व-घोषणा (लेटर हेड)।
अनुबंध-X	दिवालियापन / परिसमापन / शोधाक्षम कार्यवाही के संबंध में घोषणा।
अनुबंध – XI	शुद्ध मालियत की गणना
अनुबंध – XII	**प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों की सूची**

अनुबंध- I

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवेदन पत्र/डीपीआर

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1	संस्था का नाम और पता, जिसमें टेलीफ़ोन, ईमेल और संपर्क विवरण शामिल हैं	
2	संगठन का प्रकार	
3	क्या संस्था किसी दूसरी कंपनी की नियंत्रित संस्था है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	
4	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का नाम और पता/जगह, जिसमें टेलीफ़ोन, ईमेल और संपर्क विवरण आदि शामिल हैं।	
5	संपर्क व्यक्ति का नाम और पद, मोबाइल नंबर और ईमेल पते के साथ।	
6	क्या संस्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबन्धित है (यदि हाँ, तो संबंधित सरकारी प्राधिकरण से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है) (दंदर्भ पैरा 12.1 (iv) और पैरा 13 (13.3))	
7	संस्था की पृष्ठभूमि और उनकी गतिविधि	
8	प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्य	
9	क्या उस ज़िले में जहाँ प्रयोगशाला बनाने का प्रस्ताव है, कोई एनएबीएल प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला चालू है?	
10	प्रस्तावित उपकरण का उपयोग कर परीक्षण किए जाने वाले नमूनों एवं परीक्षण किए जाने वाले उत्पादों की संख्या के हिसाब से प्रयोगशाला की कुल मासिक क्षमता ।	

क्र. सं.	विवरण	विवरण
11	क्षेत्र/आस-पास के इलाके में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या और अन्य संभावित उपयोगकर्ता जो परीक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इकाइयों के नाम और उनके उत्पादों के साथ पते का उल्लेख करते हुए सूची संलग्न करें। **(अनुबंध-IV)**	
12	लागत मानदंडों के अनुसार विशिष्टताओं तथा लागत के साथ प्रस्तावित प्रयोगशाला उपकरण का मद-वार विवरण। **(अनुबंध-II)**	
13	**कुल परियोजना लागत:** **क. भवन** तकनीकी सिविल कार्य जिसमें प्रयोगशाला उपकरण रखने/उपभोग्य समग्रियों के भंडारण के लिए आवश्यक केवल निर्मित क्षेत्र शामिल **है।** **i. गैर तकनीकी सिविल कार्य** जैसे कार्यालय क्षेत्र , पुस्तकालय, सड़कें, चारदीवारी, कैंटीन, गेस्ट हाउस आदि। **ख. प्रयोगशाला उपकरण** **सी. फर्नीचर और फिक्स्चर** **कुल**	
14	**वित्त के साधन** क.प्रमोटरों का योगदान ख.बैंक से सावधि ऋण ग.खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी **कुल**	

क्र. सं.	विवरण	विवरण
15	प्रयोगशाला में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित उपकरण, टीसीडब्ल्यू और फर्नीचर और फिक्सचर का विवरण, जिसमें विनिर्देशों, बनावट और मॉडल, मात्रा, लागत (कृपया हर प्रस्तावित उपकरण के लिए कोटेशन प्रस्तुत करें) का संकेत करते हुए – **अनुबंध IV(क) और अनुबंध IV(ख)**	
16	उपलब्ध कुल तकनीकी /प्रोफेशनल मैनपावर उपलब्ध और वे जिन्हें काम पर रखा जाएगा (उनकी योग्यता और अनुभव के साथ)	
17	बिल्डिंग प्लान का ब्लूप्रिंट / लेआउट।	
18	कार्यान्वयन अनुसूची- बार चार्ट / माइल स्टोन चार्ट	
19	**अगले पांच सालों के लिए नकदी प्रवाह/ बुनियादी राजस्व अनुमान**	

वस्तु	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**
कारोबार					
संचालन की लागत					
सकल लाभ					
ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋणशोधन से पहले की कमाई					
कराधान से पहले लाभ					
कराधान के बाद लाभ					

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th colspan="4">विवरण</th></tr>
<tr><td>20</td><td>वित्तीय मापदंड</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>विवरण (अनुपात/ %)</th><th>बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या देखें</th></tr>
<tr><td>I</td><td>रिटर्न आंतरिक दर (आईआरआर) [(क) सब्सिडी के साथ और (ख) सब्सिडी के बिना</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>ब्रेक ईवन पॉइंट (बीईपी)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>ऋण-इक्विटी अनुपात (डीईआर)</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>21</td><td>रोज़गार सृजन अनुमान (प्रस्तावित)</td><td colspan="4"><table>
<tr><th></th><th>प्रस्तावित</th></tr>
<tr><td>प्रत्यक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>अप्रत्यक्ष</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>22</td><td>कोई अन्य प्रासंगिक विवरण</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

संलग्न: संलग्न दस्तावेजों की सूची

आवेदक/लीड प्रमोटर के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम
संगठन की मुहर

दिनांक : _/_/___

अनुबंध- II

परीक्षण किए जाने वाले उत्पादों और मापदंडों के संदर्भ में प्रस्तावित उपकरणों की प्रमाणित लागत अनुमान:-

क्र. सं.	उपकरण का नाम	विशेष विवरण	मात्रा	विदेशी मुद्रा में लागत (आयातित उपकरण के मामले में)		लागत रुपये/लाख में		उत्पादों का परीक्षण किया जाना है	उद्देश्य/ मापदंड
				मूल लागत	कर (फ्राइट इंस्टॉलेशन, सेवा प्रभार आदि)	मूल लागत	कर फ्राइट इंस्टॉलेशन,सेवा प्रभार आदि		
			कुल						

मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-III

प्रस्तावित तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर (एफएंडएफ) का प्रमाणित लागत अनुमान

क्र.सं.	प्रस्तावित उपकरण के लिए विशिष्ट टीसीडब्ल्यू और एफएंडएफ का नाम	उद्देश्य	मात्रा	लागत रुपये(लाख में)	
				मूल लागत	कर
	कुल				

मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(सीई सीविल)

अनुबंध-IV

नजदीक के खाद्य उद्योगों का विवरण जहां से खाद्य परीक्षण नमूनों के लिए व्यवसाय लक्षित है

क्र.सं.	खाद्य उद्योग का नाम	व्यवसाय निर्यात/घरेलू	प्रस्तावित एफटीएल से अनुमानत: दूरी	विनिर्मित उत्पाद	परीक्षण करने के लिए आवश्यक मानदंड	अपेक्षित नमूने	अपेक्षित राजस्व (लाख रुपये में)

मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-V

[स्वीकृति पत्र]

(अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर संस्था के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

अवर सचिव (एफटीएल)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली 110049

विषय :- _____के अंतर्गत _____(मुख्य स्थान का पता) पर एफटीएल की (स्थापना) के लिए _____ की अनुदान सहायता के लिए मैसर्स _____ के प्रस्ताव (योजना का नाम) – के संबंध में ।

श्रीमान,

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में, उक्त विषय पर मैं_____ (_____के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) ने योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान से देखा है और इसका पालन करने का वचन दिया है।

2. मैं एतद्द्वारा यह भी पुष्टि करता हूं कि पूर्वोक्त अनुमोदन पत्र में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें पीआईए ---------- (पीआईए का नाम) को बिना शर्त स्वीकार्य हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित उपकरण/टीसीडब्ल्यू/फर्नीचर और फिक्सचर किसी भी स्थिति में नहीं बदले जाएंगे।

(नाम और हस्ताक्षर मुहर के साथ)
(प्रवर्तक निदेशक/स्वामी/साझेदार)

नोट: इस स्वीकृति पर केवल प्रमुख प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है, न कि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा।

अनुबंध:

1. **वचनबद्ध**
2. **पीएफएमएस के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एजेंसी का विवरण**
3. **अधिदेश प्रपत्र**

अनुबंध-V, अनुलग्नक-(I)

शपथ पत्र

मैं.....(पीआईए के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम), पुत्र/पुत्री श्री.....(पिता का नाम), निवासी ....(आवासीय पता) निम्नानुसार घोषणा/वचनबंध करता हूँ :

1. कि मैं ..... (पीआईए का नाम) का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... (पीआईए का कार्यालय पता) है।

2. मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं अपने अधिकार में/प्रबंधन द्वारा इसके संकल्प सं. .....दिनांक ..... को लागू करने और ..... (पीआईए का नाम); की ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत और मैं .....(परियोजना द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों) के लिए ..... (परियोजना का स्थान) पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन से संबंधित तथ्यों से पूरी तरह अवगत हूं ।

3. मैं पुष्टि करता हूं कि एमओएफपीआई की ------ (योजना का नाम) योजना, जिसके अंतर्गत ------ (पीआईए का नाम) द्वारा आवेदन किया जाता है, की नियम और शर्तें ---------- (पीआईए का नाम) द्वारा ठीक से पढ़ी और समझी गई हैं और मैं पुष्टि करता हूं कि प्रस्ताव अनुमोदन पत्र के सभी नियमों और शर्तों और योजना दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करता है।

4. प्रस्ताव के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलाप एमओएफपीआई की उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं और वर्तमान में आवेदन में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने के लिए योजना / परियोजना के अवसंरचना का कोई भी हिस्सा वर्तमान या निकट भविष्य में डिज़ाइन या असाइन नहीं किया गया है न किया जाएगा ।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ (पीआईए का नाम) ने भारत सरकार या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से इस परियोजना, घटक, उद्देश्य या गतिविधि के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया है या आवेदन नहीं किया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि (पीआईए का नाम) ----------ने एफएसक्यूएआई (खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना) की घटक योजना के अंतर्गत कोई अनुदान **प्राप्त किया है/कभी नहीं प्राप्त किया है।** यदि प्राप्त किया हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें।

7. प्रमाणित किया जाता है कि ----------(पीआईए का नाम,) ने एमओएफपीआई द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से पहले परियोजना की अनुदान सहायता के पात्र घटकों पर कोई व्यय नहीं किया है।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस परियोजना के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण का संवितरण और उपयोग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी होने की तारीख के बाद किया जाएगा।

9. इस संबंध में किसी भी तथ्य को छिपाने के मामले में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन को अस्वीकार करने और जारी सहायता अनुदान, यदि कोई हो, को वापस लेने का अधिकार होगा।

10. --------- (पीआईए का नाम) अनुदान सहायता की कम स्वीकार्यता या भविष्य में सहायता अनुदान में किसी कमी या परियोजना की लागत में किसी वृद्धि के कारण किसी भी कमी को अपने संसाधनों से पूरा करेगा।

11. मैं एमओएफपीआई की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनुदान सहायता से पूरी तरह या पर्याप्त रूप से बनाई गई संपत्तियों का निपटान या भारग्रस्त या उपयोग उन उद्देश्यों से भिन्न के लिए नहीं करूंगा, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई है।

12. परियोजना के पूरा होने से पहले, परियोजना के स्वामित्व, संस्था के नाम, संस्था के प्रवर्तक, ऋण स्वीकृत करने वाला बैंक, ऋण राशि में कोई भी परिवर्तन जल्द से जल्द एमओएफपीआई के ध्यान में लाई जाएगी।

13. अनुमोदित उपकरण/टीसीडब्ल्यू और फर्नीचर और फिक्सचर में जोड़ने/हटाने/प्रतिस्थापन से पहले, एफटीएल के स्थान में परिवर्तन और किस्तों को जोड़ने के अनुरोध के लिए मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

14. परियोजना के कार्यान्वयन नहीं होने /विलंबित कार्यान्वयन के मामले में, एमओएफपीआई को अनुमोदित अनुदान सहायता को रद्द करने का पूर्ण अधिकार हो सकता है, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की गई अनुदान सहायता को ब्याज सहित वापस ले सकता है।

15. पात्रता शर्तों के संबंध में आवेदन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

स्थान: _____

पीएफएमएस पंजीकरण के लिए संस्था का विवरण

1. पंजीकरण का प्रकार: ---------
2. पैन सं.: -------
3. एजेंसी का नाम: -------
4. अधिनियम/पंजीकरण संख्या: -------
5. पंजीकरण की तिथि (दिनांक/महीना/वर्ष): ------
6. पंजीकरण प्राधिकरण: -----------

(यदि पंजीकरण प्राधिकरण उपलब्ध नहीं है तो अन्य विकल्प चुनें)

1. पंजीकरण का राज्य: ------- (केंद्रीय एजेंसी)
2. टिन सं.: ---------
3. टैन सं.: ------
4. पैन सत्यापन स्थिति: ------ हां/नहीं
5. जीएसटी संख्या: -------- (जीएसटी संख्या अधिकतम 15 कैरेक्टर)
6. ब्लॉक संख्या/भवन/गांव/परिसर का नाम: ------
7. सड़क/गली/डाक घर: ------
8. क्षेत्र / मोहल्ला: ------
9. शहर: ------
10. राज्य: -----
11. ज़िला: ------
12. पिन कोड: -------
13. संपर्क व्यक्ति: ------
14. पद: -------
15. फ़ोन नंबर: +91--------

(कंट्री कोड से शुरू होने वाला फोन नंबर)। फोन नंबर कंट्री कोड को छोड़कर 5 से 12 अंकों का होना चाहिए

1. वैकल्पिक न: +91 -------

(वैकल्पिक फोन नंबर कंट्री कोड से शुरू होता है)। फोन नंबर कंट्री कोड को छोड़कर 5 से 12 अंकों का होना चाहिए

1. मोबाइल नंबर: +91-------

(कंट्री कोड से शुरू होने वाला मोबाइल नंबर)

1. ईमेल: -------
2. विशिष्ट एजेंसी कोड: ------ (अद्वितीय एजेंसी कोड न्यूनतम 4 और अधिकतम 15 कैरेक्टर)

निर्देश

विशिष्ट एजेंसी कोड प्रोग्राम डिविजन (मंत्रालय) के साथ एजेंसी संवाद के लिए अपेक्षित है। यह सिस्टम में एजेंसी की विशिष्ट पहचान होगी । विशिष्ट कोड मंजूरी आईडी बनाने के लिए आवश्यकता है, जो एजेंसी को धन जारी करने के लिए अनिवार्य है।

नोट: यह पहले से ही पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है, यहां इसे भरने से पहले विवरण तैयार करने या पंजीकरण करने के लिए (जो भी कारण हो) मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए जानकारी प्रदान की जाती है ।

मैंडेट फॉर्म

भुगतान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट समाशोधन)/वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) सुविधा

खाताधारक का विवरण:

खाताधारक का नाम	
पूरा संपर्क पता	
टेलीफोन नंबर/फैक्स/ईमेल	

बैंक के खाते का विवरण: -

बैंक का नाम	
शाखा का नाम और पूरा पता टेलीफोन नंबर और ईमेल	
शाखा का आईएफएससी कोड	
बैंक खाता	अनुदान सहायता
पूर्ण बैंक खाता संख्या (नवीनतम)	
बैंक का एमआईसीआर कोड	
खाता का प्रकार	

लागू होने की तिथि:-

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है या लेन-देन नहीं होता है तो मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

दिनांक

मुहर के साथ ग्राहक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।

(हस्ताक्षर और बैंक की मुहर)

अनुबंध- VI

चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण-पत्र

(सदस्यता / पंजीकरण संख्या के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेटर हेड)

दिनांक: __/__/____

प्रमाणीकरण _____ *(परियोजना का नाम) से संबंधित लेखा पुस्तकों, बिलों, चालानों, कार्य आदेशों, बैंक विवरणों आदि की पुस्तकों के सत्यापन* पर आधारित है।

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**प्रस्तावित परियोजना लागत**	**अनुमोदित पीएसी लागत**	**अनुदान सहायता की गणना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार की गई पात्र लागत**	**एमओएफपीआई *द्वारा अनुमोदित अनुदान***	**एमओएफपीआई *द्वारा जारी अनुदान***	**आज की तारीख में वास्तविक व्यय...**
1	उपकरण						
2	तकनीकी सिविल कार्य						
3	गैर-तकनीकी सिविल कार्य						
4	फर्नीचर तथा फिक्सचर						
5	आवर्ती लागत						
6	अन्य व्यय (कृपया निर्दिष्ट करें)						
	कुल						

वित्त के साधन:

क्र.सं.	मद	वित्त के प्रस्तावित साधन	पीएसी के अनुसार वित्त के स्वीकृत साधन	जारी किया अनुदान	आज की तारीख में वास्तविक व्यय...
1	प्रमोटरों का योगदान				
2	एमओएफपीआई से अनुदान				
3	बैंक ऋण				
	कुल				

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यय में केवल अग्रिम भुगतान नहीं, बल्कि केवल वास्तविक व्यय शामिल हैं।

दिनांक और मोहर के साथ सीए के हस्ताक्षर

पीआईए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

अनुबंध-VII (क)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जारी अनुदान सहायता के अंतर्गत खरीदे गए और स्थापित किए गए उपकरणों का विवरण :

1. प्रयोगशाला का नाम:

2. प्रयोगशाला का स्थान:

क्र.सं.	पीएसी अनुमोदित उपकरण का नाम	अमेरिकी डॉलर /यूरो, आदि में कीमत + सीमा शुल्क / सेवा कर, आदि। (यदि लागू हो)। (आयातित उपकरणों के मामले में)	..... (दिनांक) के अनुसार विनियम दर	रुपये में कीमत/मूल्य + वैट/सेवाई टैक्स आदि, (यदि लागू हो)	मेक/ मॉडल	उपकरण की क्रम संख्या	चालान की संख्या और तारीख (क्रय आदेश और प्रोफॉर्मा आदेश की संख्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा)	प्रयोगशाला में उपकरण की स्थापना की ता	उपकरण का उद्देश्यण और क्या यह कार्यात्मक है या नहीं	उपकरण की खरीद के लिए एमओएफपीआई द्वारा जारी अनुदान सहायता में से उपयोग की गई धनराशि

								रीख		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी उपकरण उपर्युक्त प्रमाणित लागत के अनुसार खरीदे गए हैं। प्रत्येक उपकरण के सामने उल्लिखित चालान संख्या, दिनांक और क्रम संख्या सत्यापित की गई है। उपर्युक्त सभी उपकरण उपर्युक्त प्रयोगशाला स्थान पर स्थापित किए गए हैं।

सीए के हस्ताक्षर (तारीख और मुहर के साथ)

मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

अनुबंध-VII (ख)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान सहायता के अंतर्गत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में खरीदे/किए गए तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर का विवरण

क्र.सं.	पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित टीसीडब्ल्यू और फर्नीचर और फिक्सचर का नाम	उद्देश्य	चालान की संख्या और तारीख (क्रय आदेश और प्रोफॉर्मा आदेश की संख्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा)	क्या पूर्ण हुआ हैं/ स्थापित किया गया है या नहीं	किया गया व्यय	एमओएफपीआई द्वारा जारी की गई अनुदान सहायता में से उपयोग की गई राशि
1.	2.	3.		4.	5.	6.

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त टीसीडब्ल्यू और फर्नीचर और फिक्सचर पर किए गए खर्च को दी गई संख्या और तारीख वाले चालान से सत्यापित किया गया है।

सीए के हस्ताक्षर (तारीख और मुहर के साथ)

मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

अनुबंध- VIII

ज़मानत पत्र

इन दस्तावेजों के द्वारा सबको विदित किया जाता है कि हम, मैसर्स _____, एक _____ (संगठन का प्रकार) _____ (अधिनियम का नाम) के अंतर्गत शामिल / पंजीकृत हैं और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ (इसके बाद "बाध्यताधारी" कहा जाता है) पूरी तरह से धारण किया जाता है और दृढ़ता से भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद "सरकार" कहा जाता है) के लिए ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) की राशि के लिए अच्छी तरह से और सही मायने में सरकार को मांग पर भुगतान किए जाने के लिए आबद्ध है और बिना किसी देरी के भुगतान के लिए हम खुद को और हमारे इन दस्तावेजों द्वारा उत्तराधिकारी और समनुदेशिती को आबद्ध करते हैं ।

_____ दिन _____ माह _____ वर्ष में हस्ताक्षर किए गए।

जबकि बाध्यताधारी के अनुरोध पर, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिनांक ..... के स्वीकृति आदेश सं._____ (इसके बाद "स्वीकृति-पत्र" के रूप में संदर्भित) जो इन दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, और जिसकी प्रति संलग्न है, के अनुसार एतद्द्वारा, _____ पर, (परियोजना का विवरण) के प्रयोजन के लिए ₹ _____ (रुपये _____ केवल) के बाध्यताधारी अनुदानों के पक्ष में बनाने के लिए सहमत हुए, जिसमें से रुपये _____ (रुपये _____ केवल) की राशि बाध्यताधारी को भुगतान की गई है (जिसकी पावती बाध्यताधारी एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं,) इस शर्त पर कि बाध्यताधारी इसके बाद निहित शर्तों और तरीके से एक बंधन निष्पादित करते हैं जिसके लिए बाध्यताकर्ता सहमत हो गए हैं।

अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्तें ऐसी हैं कि यदि बाध्यताधारी स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत रूप से पूरा करते हैं और उनका पालन करते हैं, तो उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य और निष्प्रभावी होगा । लेकिन, अन्यथा, यह पूर्णत: और गुण में लागू रहेगा। बाध्यताधारी अनुदान सहायता के नियमों और शर्तों का लक्ष्य तिथियों, यदि कोई उसमें निर्दिष्ट है, तक पालन करेंगे ।

यह कि बाध्यताधारी अनुदान सहायता को डायवर्ट नहीं करेंगे और योजना या संबंधित कार्य का निष्पादन किसी अन्य संस्थान (संस्थानों) या संगठन (संगठनों) को नहीं सौंपेंगे।

यह कि बाध्यताधारी इस करार में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बंधपत्र का उल्लंघन करने की स्थिति में, बाध्यताधारी व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति को पूरी राशि तथा उस पर 10% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे । यदि अनुदान सहायता का कोई हिस्सा उस अवधि की समाप्ति के बाद खर्च नहीं होता

है जिसके भीतर इसे खर्च किया जाना आवश्यक है, ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से सरकार को इसके रिफंड की तारीख तक चार्ज किया जाएगा, जब तक कि इसे ले जाने के लिए सहमति नहीं दी जाती है। बाध्यताधारी इस बात के लिए सहमत है और वचनबद्ध है कि वह ऐसे सभी धन संबंधी अथवा अन्य लाभ जिसे वह भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अथवा संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा स्वीकृत अनुदान सहायता से मुख्य रूप से निर्मित/अर्जित अथवा बनाए गए भवनों की संपत्ति के द्वारा, उसके अनधिकृत उपयोग (यथा) पर्याप्त अथवा पर्याप्त से कम विचारण पर परिसर को किराये पर देना अथवा सम्पति को जिस प्रयोजन के लिए अनुदान सहायता दी गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए परिसर का उपयोग करना) से प्राप्त करता है अथवा उसे व्युत्पन्न करता है/प्राप्त कर चुका है/व्युत्पन्न कर चुका है, के मौद्रिक मूल्य को सरकार के पास अभ्यार्पित करेगा अथवा सरकार को भुगतान करेगा। अभ्यर्पित /सरकार को भुगतान किए जाने वाले उपर्युक्त मौद्रिक मूल्य के संबंध में, सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यताधारी पर बाध्यकारी होगा।

और ये दस्तावेज इस बात के भी साक्षी हैं कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव का निर्णय इस सवाल पर कि क्या स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, बाध्यताधारियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और जिसके साक्ष्य में इन दस्तावेजों को बाध्यताधारियों के शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प सं ._____ दिनांक _____ के अनुसरण में ऊपर लिखे गए दिन के अनुसार बाध्यताधारियों की ओर से निष्पादित किया गया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और _____ द्वारा और राष्ट्रपति की ओर से नीचे दी गई तारीख पर:-निष्पादित किया गया है ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए
(स्पष्ट अक्षरों में बाध्यताधारी का नाम)
(मुहर/संगठन की मुहर)

.1साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम और पता .....

.2 हस्ताक्षरसाक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम और पता.....

नोटरी की मुहर तथा हस्ताक्षर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (स्वीकृत)

द्वारा भरा जाना है

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

दिनांक :_____

नाम :_____

पदनाम :_____

अनुबंध-VIII (क)

ज़मानत बंधपत्र का एक भाग

संकल्प संख्या...

दिनांक:...

संकल्प

----------(तारीख)_को हमारे संगठन की प्रबंध समिति / बोर्ड मैसर्स ..... ने एक बैठक आयोजित की है और संकल्प लिया है कि श्रीमती / श्री---------- (अधिकृत होने वाले व्यक्ति का नाम_) को हमारे संगठन की ओर से ज़मानत देने के लिए अधिकृत किया गया है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को सहायता अनुदान के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकृत किया गया है ।

भागीदार/निदेशक-I

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

भागीदार/निदेशक-II

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

भागीदार/निदेशक -III

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

(इस अनुबंध को आवश्यकता और संगठन के प्रकार के अनुसार संशोधित किया जा सकता है)

अनुबंध-IX

स्व-घोषणा (लेटर हेड)

प्रस्ताव का नाम:

प्रस्ताव के पूरा होने की तिथि:

तिथि जब वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ:

मैं (संगठन के प्रमुख) श्री/श्रीमती..... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि "खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए ..... का प्रस्ताव" जैसा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा अनुमोदित किया गया है, को पूरा कर लिया गया है और ..... से प्रचालन शुरू हो गया है । प्रयोगशाला को दिनांक ----------को एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त हुआ है । सभी अनुमोदित उपकरण खरीदे गए हैं और सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं और ऐसे उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की स्थापना के पूरा होने की तिथि	तिथि जब वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ
1			
2			
3			
4			

संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर मुहर के साथ

दिनांक: _____

स्थान: _____

नोट: परियोजना के पूरा होने की तिथि अंतिम उपकरण की स्थापना की तिथि होगी और उसके बाद ही, प्रयोगशाला को व्यावसायिक मोर्चे पर पूरी तरह से चालू माना जाएगा ।

अनुबंध- X

शपथ पत्र

सचिव,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन , अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली – 110049

विषय – दिवालियापन/परिसमापन/शोधन अक्षमता कार्यवाही के संबंध में घोषणा।

प्रिय महोदय,

मैं/हम, ...(पीआईए का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं/हम, आज की तारीख में एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) या किसी न्यायाधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा दिवालियापन समाधान प्रक्रिया या परिसमापन या शोधन अक्षमता संहिता कार्यवाही (आईबीसी) के अधीन नहीं हूँ/हैं, जो हमें इस परियोजना के लिए अपात्र बनाता है।

धन्यवाद,

तारीख:

बैंक के लिए और उसकी की ओर से

मुहर और हस्ताक्षर (बैंक)

पीआईए के लिए और उसकी ओर से

मुहर और हस्ताक्षर (पीआईए)

अनुबंध-*XI*

निवल संपत्ति की गणना
(केवल सहायक दस्तावेजों के आधार पर)

I. कंपनी अधिनियम , वर्ष 1956 या कंपनी अधिनियम , वर्ष 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए निवल संपत्ति:-

1.1 मूल्यांकन का आधार:-

कंपनी अधिनियम, वर्ष 2013 की धारा 2(57) के अनुसार , निवल संपत्ति का अर्थ होगा:-

चुकता शेयर पूंजी का कुल मूल्य और मुनाफे से निर्मित सभी आरक्षित निधियाँ, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और लाभ और हानि खाते का डेबिट या क्रेडिट शेष, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार , संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यह्रास और समामेलन के बट्टे खाते में डालने से निर्मित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं।

1.2 अपेक्षित दस्तावेज़ :

क) अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, यूडीआईएन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणित, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ।

II सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए निवल संपत्ति

2.1 मूल्यांकन का आधार:

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, वर्ष 2008 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी के लिए, निवल संपत्ति की गणना कंपनियों पर लागू होने वाले सिद्धांतों के हिसाब से की जाएगी, जिसमें एलएलपी स्ट्रक्चर को भी शामिल किया जाएगा।

निवल संपत्ति की गणना कुल आस्तियों और कुल विदेशी देयताओं के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी, जैसा कि अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया है, जिसमें ये शामिल नहीं हैं:

- पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ
- मूल्यह्रास का प्रतिलेखन , और
- समामेलन आरक्षित निधि, यदि कोई हो।

एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार पार्टनर्स का पूंजी अंशदान, और एलएलपी का संचित मुनाफा और फ्री रिज़र्व शामिल किया जाएगा, जबकि कोई भी पुनर्मूल्यांकन या सट्टे वाली आस्तियां शामिल नहीं होंगी।

2.2 अपेक्षित दस्तावेज़:

•एलएलपी का अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र और प्रॉलाभ और हानि खाता मान्य यूडीआईएन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणीकृत ।
• एलएलपी एग्रीमेंट और पार्टनर्स के पूंजी अंशदान और लाभ बांटने के अनुपात को दिखाने वाले किसी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट की प्रति।

2.3 **अतिरिक्त स्पष्टीकरण**:

•"साझेदारों की पूंजी" शब्द में एलएलपी में शुरू की गई सभी पूंजी और रखे गए संचित लाभ शामिल होंगे।
•भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्ति या देनदारियों को एलएलपी की निवल संपत्ति गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

III कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं और एलएलपी के लिए निवल संपत्ति

3.1 मूल्यांकन का आधार:

निवल संपत्ति की गणना यूडीआईएन के साथ सीए द्वारा प्रमाणीकृत आस्तियां और देयता प्रमाणपत्र के आधार पर व्यक्तिगत मालिक/भागीदार की आस्तियां माइनस लायबिलिटीज के रूप में की जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन की उच्च संभावना वाली गारंटी (जैसे, इनवोक्ड या एसएमए-2 अकाउंट) को घटाया जाएगा; अन्य सभी गारंटी, कम से कम, बताई और आंकी जाएंगी।

3.2 गणना के सिद्धांत:

क. निवल संपत्ति, इंडिविजुअल पार्टनर (पार्टनरों) और पार्टनरशिप/प्रोप्राइटरशिप फर्म (फर्म के पार्टनर(ओं) के पूंजीगत खातों में निवेश के डुप्लीकेशन से बचना) और पार्टनरशिप फर्म में हर इंडिविजुअल पार्टनर के इन्वेस्टमेंट का कुल योग होगा।

ख. अगर आवेदक चल रही पार्टनरशिप/प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो चल रही पार्टनरशिप/प्रोप्राइटरशिप फर्म की सालाना ऑडिटेड तुलन-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अनुसार निवल संपत्ति की नीचे दिए गए तरीके से गणना की जाएगी:-

- अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर निवल संपत्ति पर विचार किया जाएगा।
- अगर तुलन-पत्र के हिसाब से निवल संपत्ति काफ़ी नहीं है, तो अलग-अलग पार्टनर/मालिकों के सीए-सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ़ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते एसेट्स गाइडलाइंस के अनुसार ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स से सपोर्टेड हों और किसी भी हालत में, एसेट्स के किसी भी हिस्से में वैधता नहीं होनी चाहिए।
- अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र में दिखाई गई ज़मीन और बिल्डिंग के अलावा, व्यक्तिगत ज़मीन और भवन के मूल्यांकन पर प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप के मामले में अलग

से विचार किया जा सकता है, जिसमें सीए सर्टिफ़िकेशन हो कि फ़ाइनल कंबाइंड निवल संपत्ति में पार्टनर द्वारा पुष्टि की गई डुप्लीकेट एंट्री शामिल नहीं हैं।

ग. क्योंकि पार्टनरशिप/प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनर्स/प्रोप्राइटर की लायबिलिटी असीमित होती है, इसलिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा:

- यूडीआईएन के साथ सीए प्रमाणित "शून्य देयता कथन" या
- यूडीआईएन के साथ व्यक्तिगत भागीदारों/स्वामियों का सीए प्रमाणित "संपत्ति और देनदारियों का विवरण"।
- इन विवरणों के आधार पर निवल देयताओं को निवल संपत्ति निर्धारित करते समय घटा दिया जाएगा।

3.3 अपेक्षित दस्तावेज़:

i. यूडीआईएन के साथ सीए सर्टिफाइड निवल संपत्ति विवरण (आस्तियों को देयताओं से घटाकर), साथ में लागू दस्तावेज़ ।

ii. संस्था की अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ज़रूरी, अगर संस्था पर लेखा परीक्षा लागू होती है)।

iii. ज़मीन के रजिस्टर्ड टाइटल / ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स (अगर मूल स्थानीय भाषा में है तो नोटरीकृत अंग्रेजी /हिंदी अनुवाद के साथ)।

iv. राज्य सरकारों द्वारा जारी सर्किल रेट दस्तावेज़ ।

v. सरकार से मंज़ूर पंजीकृत मूल्य निर्धारक से बिल्डिंग वैल्यूएशन सर्टिफ़िकेट।

vi. जमा करने की तारीख से 6 महीने पहले के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट।

vii. फिक्स्ड डिपॉजिट – बैंक नो-लियन लेटर के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद।

viii. इंश्योरेंस कंपनी का सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट (प्रीमियम रसीदें नहीं)।

ix. अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर फेस वैल्यू पर; लिस्टेड कंपनियों/म्यूचुअल फंड के शेयर प्रपोज़ल जमा करने की तारीख से पहले 6 महीने के एवरेज मार्केट प्राइस पर, जिसमें प्लेज्ड शेयर शामिल नहीं हैं, और डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट से सपोर्टेड है जिसमें होल्डिंग्स और प्लेज स्टेटस दिखाया गया है।

सामान्य शर्तें:

i) कार, इनटैंजिबल्स, ज्वेलरी, एंटीक, सोना, कैश इन हैंड और स्पेक्युलेटिव एसेट्स वगैरह जैसे एसेट्स को निवल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

ii) ग्रुप कंपनियों/संबंधित कंपनियों/लोगों को दिए गए लोन और एडवांस को भी निवल संपत्ति के कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा।

iii) प्रोविजनल तुलन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र पर ही विचार किया जाएगा।

iv) संस्था की अद्यतन वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र में दिखाई गई ज़मीन और बिल्डिंग की वैल्यू को निवल संपत्ति की गणना करने के लिए माना जाएगा। यानी संस्था की ज़मीन और बिल्डिंग के पुनर्मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

v) आवेदक को निवल संपत्ति के लिए अपनी जमा की गई प्रॉपर्टी के एनकम्ब्रेंस की विवरण के बारे में स्वयं प्रमाण पत्र देना होगा।

vi) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय दस्तावेजों और सीए प्रमाण पत्र पर आई सी ए आई – यू डी आई एन पोर्टल से जारी वैलिड यूडीआईएन हो।

vii) पार्टनरशिप / प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में, अलग-अलग पार्टनर्स का पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर (संगणना के साथ पूरा रिटर्न) जमा करना होगा।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन (एईआरए) अधिनियम 2019 के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रमुख हवाई अड्डों की सूची :

1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई
3. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु
4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि
6. चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई
8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता
9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड
15. गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाबोलिम, गोवा
16. पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे
17. जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना
18. गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर
21. स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर
22. तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली
23. मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु
24. कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, कन्नूर
25. शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर
26. शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिरडी
27. मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा
28. देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर
29. कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयंबटूर
30. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर
31. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर
32. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई

महापत्तन न्यास अधिनियम , वर्ष 1963 के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख बन्दरगाहों की सूची , :

भारत में प्रमुख बंदरगाह:

पश्चिमी तट	पूर्वी तट
1. कांडला (गुजरात) 2. मुंबई (महाराष्ट्र) 3. जवाहरलाल नेहरू (महाराष्ट्र) 4. मारमुगाओ (गोवा) 5. न्यू मंगलौर (कर्नाटक) 6. कोचीन (केरल)	1.तूतीकोरिन (तमिलनाडु) 2.चेन्नई (तमिलनाडु) 3.एन्नोर (तमिलनाडु) 4.विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) 5.पारादीप (उड़ीसा) 6.कोलकाता, हल्दिया (पश्चिम बंगाल) 7.पोर्ट ब्लेयर, हड्डो (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)